

--	--	--	--

Total No. of Questions: 100  
कुल प्रश्नों की संख्या : 100

No. of Printed Pages: 30  
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 30

## Suitability Test-18

प्रथम प्रश्न-पत्र

First Question Paper

Time Allowed- 3:00 Hours (Including 2<sup>nd</sup> Que. Paper)  
समय - 3:00 घण्टे (द्वितीय प्रश्न पत्र के साथ ही)

Maximum Marks-100  
पूर्णांक - 100

निर्देश : -

**Instructions :-**

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न के अंक समान हैं। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।  
All questions are compulsory. All questions shall carry equal Marks. There shall be no negative marking.
- प्रश्न पत्र में प्रश्नों की निर्धारित संख्या 100 हैं। परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न-पत्र में निर्धारित संख्या में प्रश्न मुद्रित हैं, अन्यथा वह दूसरा प्रश्न पत्र मांग लें।  
The question paper contains 100 questions. The examinee should verify that the requisite number of questions are printed in the question paper, otherwise he/she should ask for another question paper.
- प्रश्न पत्र के आवरण पृष्ठ पर प्रश्न-पत्र में लगे पृष्ठों की संख्या दी गई है। परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न-पत्र में निर्धारित संख्या में पृष्ठ लगे हैं, अन्यथा वह दूसरा प्रश्न-पत्र मांग लें।  
The cover page indicates the number of pages in the question paper. The examinee should verify that the requisite number of pages are attached in the question paper, otherwise he/she should ask for another question paper.
- प्रदत्त उत्तर शीट पर दिये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अपने उत्तर तदनुसार अंकित करें।  
Read carefully the instructions given on the answer sheet supplied and indicate your answers accordingly.
- कृपया उत्तरशीट पर निर्धारित स्थानों पर निर्धारित प्रविष्टियां कीजिये, अन्य स्थानों पर नहीं।  
Kindly make the necessary entries on the answer sheet only at the places indicated and nowhere else.
- यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मानक माना जायेगा।  
If there is any sort of mistake either of printing or of factual nature in any question, then out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.

P.T.O.

## Civil Procedure Code, 1908

- प्र.क्र. 1— न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी, का उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है ?  
 (अ) धारा 28 (ब) धारा 38  
 (स) धारा 40 (द) धारा 25
- Que. Court by which decree may be executed is dealt under which of the following section of the Civil Procedure Code ?  
 (a) Section 28 (b) Section 38  
 (c) Section 40 (d) Section 25
- प्र.क्र. 2— धारा 32 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय ऐसे व्यक्ति जिसकी उपस्थिति के लिए धारा 30 के अंतर्गत समंस जारी किया गया है उसके हाजिर होने के लिए विवश करने के प्रयोजन से न्यायालय अधिकतम शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ?  
 (अ) रु. 2000 (ब) रु. 3000  
 (स) रु. 1000 (द) रु. 5000
- Que. Under section 32 of CPC, the maximum fine which can be imposed by the Court for compelling the attendance of any person to whom a summons has been issued under section 30;  
 (a) Rs. 2000 (b) Rs. 3000  
 (c) Rs. 1000 (d) Rs. 5000
- प्र.क्र. 3— धारा 2(11) सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिभाषित विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि :—  
 (अ) वाद के पक्षकारों का संबंधी है ।  
 (ब) पक्षकारों को प्राप्त होने वाले लाभ का सहधारक है ।  
 (स) नजदीकी पड़ोसी ।  
 (द) ऐसा व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधिक प्रतिनिधित्व करता है ।
- Que. Legal representative under section 2(11) of CPC means a person who is a :-  
 (a) Relative of parties to the suit.  
 (b) Co-sharer of the benefits assuming to the parties.  
 (c) Close neighbor.  
 (d) Who in law represents the estate of the deceased person.
- प्र.क्र. 4— मूल आज्ञापति की अपील होगी :—  
 (अ) केवल तथ्य के प्रश्न पर  
 (ब) केवल विधि के प्रश्न पर  
 (स) विधि और तथ्य दोनों के प्रश्न पर  
 (द) उपरोक्त सभी

Que. Appeal from original decree lies :-

- (a) On Question of facts only
- (b) On Question of law only
- (c) Both Question of law and Question of fact
- (d) All the above

प्र.क्र. 5— धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सहमति से पारित डिक्री :-

- (अ) अपील योग्य है ।
- (ब) अपील योग्य नहीं है ।
- (स) केवल उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है ।
- (द) केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है ।

Que. Under sec. 96 of the Code of Civil Procedure, the consent decree is -

- (a) Appealable.
- (b) Not Appealable.
- (c) Appealable to the High Court only.
- (d) Appealable to the Supreme Court only.

प्र.क्र. 6— धारा 152 सि.प्र.सं. के अंतर्गत लेखन या गणित संबंधी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उत्पन्न गलतियाँ ठीक की जा सकती हैं -

- (अ) केवल निर्णय में
- (ब) केवल डिक्री में
- (स) केवल आदेश में
- (द) उपरोक्त सभी में

Que. Under Section 152 of the CPC, clerical or arithmetical mistakes or errors arising there in from any accidental slip or omission can be corrected in-

- (a) Judgement only
- (b) Decree only
- (c) Order only
- (d) In all of above

प्र.क्र. 7— धारा 153-बी सिविल प्रक्रिया संहिता का उपबंध सम्बंधित है -

- (अ) ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है ।
- (ब) ऐसे वाद के बारे में जो पारिवारिक मामलों से सम्बंधित हैं ।
- (स) विचारण के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाना ।
- (द) ऐसे साक्षियों की उपस्थिति जिन्हें परिरोधित किया गया है ।

Que. A Section 153-B of the Civil Procedure Code, contains the provision for -

- (a) Classes of persons who cannot be arrested.
- (b) Suit relating to matters concerning the family.
- (c) Place of Trial to be deemed to be open Court.
- (d) Attendance of witnesses, confined.

प्र.क्र. 8— आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. के अंतर्गत वादपत्र नामंजूर होने की दशा में वादी को उपचार उपलब्ध है -

- (अ) उसी वाद हेतुक के बारे में नया वादपत्र प्रस्तुत कर सकेगा

- (ब) उक्त आदेश के विरुद्ध अपील पेश कर सकेगा  
 (स) उक्त आदेश के विरुद्ध उसी न्यायालय में पुनर्विलोकन याचिका पेश कर सकेगा  
 (द) उपरोक्त सभी

Que. Under Order 7 Rule 11 CPC when the plaint have been rejected, the plaintiff have remedy against the rejection order -

- (A) May present a fresh plaint in respect of the same cause of action  
 (B) May preferred an appeal against that order  
 (C) May file a petition of review against that order  
 (D) All of above

प्र.क्र. 9 डिफ्री के निष्पादन की कार्यवाही के दौरान यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं तब ऐसे प्रश्न का निराकरण करेगा :-

- (अ) डिफ्री पारित करने वाला न्यायालय  
 (ब) निष्पादन न्यायालय  
 (स) उस न्यायालय का अपीलीय न्यायालय  
 (द) पृथक से दावा दायर करके

Que. During the execution proceeding, if a question raised whether a particular person is representative of the party or not. This question will be decided by :-

- (a) The Court, which passed by decree  
 (b) Executing Court  
 (c) Appellate Court  
 (d) By filing a separate suit

प्र.क्र. 10- जहाँ वादी, समन तामील के बिना लौटने के पश्चात् , नये समन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वहां न्यायालय कितने दिनों पश्चात दावा खारिज कर सकता है?

- (अ) 10 दिवस (ब) 7 दिवस  
 (स) 30 दिवस (द) 14 दिवस

Que. After how many days Court can dismiss the suit where plaintiff fails to apply for fresh summons, after summons returned unserved?

- (a) 10 days (b) 7 days  
 (c) 30 days (d) 14 days

प्र.क्र. 11- उपशमन के प्रावधान अपील को भी लागू होंगे, इसके बारे में प्रावधान किया गया है-

- (अ) आदेश 22 नियम 9 (ब) आदेश 41 नियम 32  
 (स) आदेश 22 नियम 11 (द) आदेश 41 नियम 26

Que. Provision relating to abatement shall also applies to appeal, are provided in -

- (a) Order 22 Rule 9 (b) Order 41 Rule 32  
 (c) Order 22 Rule 11 (d) Order 41 Rule 26

प्र.क्र. 12— क्या सक्षम सीमित अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा जो ऐसा विवाद्यक विनिश्चित करने के लिये सक्षम है, सुनकर अंतिम रूप से विनिश्चित किया गया विवाद्यक पूर्व न्याय के रूप में लागू होगा ?

- (अ) हाँ (ब) नहीं  
(स) न्यायालय के विवेक पर (द) कोई नहीं

Que. Whether an issue, heard and finally decided by a competent court of limited jurisdiction, competent to decide such issue shall operate as *res judicata*-

- (a) Yes (b) No  
(c) Discretion of the Court (d) None of the above

प्र.क्र. 13— आदेश 7 नियम 10 सि.प्र.सं के अंतर्गत अपील अथवा पुनरीक्षण न्यायालय वाद पत्र को सक्षम न्यायालय में पेश करने के लिए लौटाये जाने का निर्देश निम्न में से किस दशा में दे सकेगा—

- (अ) प्रत्यर्थी पक्ष को अपील की सूचना तामील करने के पश्चात्  
(ब) वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात्  
(स) अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत होने पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान  
(द) उपरोक्त में से किसी भी परिस्थिति में नहीं

Que. In which of the following condition appellate or revisional court may direct return of plaint under order 7 rule 10 of the Code-

- (a) After serving notice of the appeal to the respondent.  
(b) After setting aside the decree passed in a suit  
(c) On the motion hearing of the appeal or revision  
(d) None of the above

प्र.क्र. 14— जहाँ एकपक्षीय अस्थायी व्यादेश आदेश 39, नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान किया गया हो, मूल आवेदन ..... दिनों में निराकृत किया जाना चाहिए ।

- (अ) 60 (ब) 90  
(स) 30 (द) 15

Que. Where an ex-parte temporary injunction has been granted under Order 39, Rule 3 of Civil Procedure Code, the original application should be decided within .....days.

- (a) 60 (b) 90  
(c) 30 (d) 15

प्र.क्र. 15— धारा 35-ए सि.प्र.सं. के अंतर्गत मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्च में अधिकतम कितनी राशि के संदाय का आदेश दिया जा सकता है—

- (अ) 3000 रु. (ब) 2000 रु.  
(स) 1000 रु. (द) 5000 रु.

Que. The maximum amount of compensatory cost in respect of false or vexatious claims or defences may be imposed under Section 35-A of CPC upto-

- (a) Rs. 3000 (b) Rs. 2000  
(c) Rs. 1000 (d) Rs. 5000

प्र.क्र. 16— धारा 148—क सि.प्र.सं. के अनुसार प्रस्तुत किया गया केवियट कितने दिनों के अवसान के पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेगा?

- (अ) 60 दिन (ब) 90 दिन  
(स) 120 दिन (द) 30 दिन

Que. A caveat lodged under Section 148-A of CPC shall not remain in force after the expiry of -

- (a) 60 days (b) 90 days  
(c) 120 days (d) 30 days

प्र.क्र. 17— इस प्रावधान के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा प्रत्याक्षेप प्रस्तुत किया जा सकता है -

- (अ) आ.41 नि. 22 सि.प्र.सं. (ब) आ.41 नि. 23 सि.प्र.सं.  
(स) आ.41 नि. 5 सि.प्र.सं. (द) धारा 151 सि.प्र.सं.

Que. Cross objection can be filed by the respondent under this provision of CPC-

- (a) O. 41 R 22 C.P.C. (b) O. 41 R 23 C.P.C.  
(c) O. 41 R 5 C.P.C. (d) Section 151 C.P.C.

प्र.क्र. 18— क्या डिक्री अपास्त करने का वाद इस आधार पर लाया जा सकता है कि वह समझौता जिस पर डिक्री आधारित है, विधिपूर्ण नहीं था—

- (अ) नहीं (ब) प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा  
(स) हां (द) न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा

Que. Whether, a suit shall lie to set aside the decree on the ground that the compromise on which that decree is based, was not lawful?

- (a) No (b) It will depend upon circumstances of the case.  
(c) Yes (d) It will depend upon discretion of Court

प्र.क्र. 19— धारा 74 सि.प्र.सं. के अंतर्गत किसी डिक्री के निष्पादन में निर्णित ऋणी या अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रतिरोध किए जाने की स्थिति में न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को सिविल कारागार में निरोध करने की अधिकतम अवधि -

- (अ) 30 दिवस तक की (ब) 45 दिवस तक की  
(स) 15 दिवस तक की (द) 60 दिवस तक की

Que. According to section 74 of CPC during the execution of a decree if a Judgment-debtor or any other person on his behalf resist the execution

proceedings, the Court shall order the person to be detained in the civil prison for the maximum period of -

- (a) upto 30 days (b) upto 45 days  
(c) upto 15 days (d) upto 60 days

प्र.क्र. 20— धारा 91 सि.प्र.सं. के अंतर्गत लोक न्यूसेंस या अन्य ऐसे दोषपूर्ण कार्य की दशा में जिससे लोक पर प्रभाव पड़ता है घोषणा और व्यादेश के लिए या अन्य अनुतोष के लिए कोई वाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाया जा सकता है ?

- (अ) महाधिवक्ता द्वारा (ब) लोक अभियोजक के द्वारा  
(स) जिला दण्डाधिकारी द्वारा (द) उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के द्वारा

Que. According to section 91 of CPC in the case of public nuisance or other wrongful act affecting the public, a suit for a declaration and injunction or for such other relief the case may be instituted -

- (a) By Advocate General (b) By the Public Prosecutor  
(c) By the District Magistrate (d) All of above three persons

### Limitation Act, 1963

प्र.क्र. 21— क्षेत्राधिकार न रखने वाले न्यायालय में की गई सद्भाविक कार्यवाही में लगा हुआ समय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के अंतर्गत अपवर्जित हो सकेगा -

- (अ) केवल सिविल कार्यवाही में  
(ब) केवल दाण्डिक कार्यवाही में  
(स) उपरोक्त सिविल एवं दाण्डिक दोनों कार्यवाहियों में  
(द) उपरोक्त में से किसी में भी नहीं

Que. Under Section 14 of the Limitation Act, 1963, exclusion of time of proceeding bona fide in Court without jurisdiction may be -

- (a) Only in civil proceeding  
(b) Only in criminal proceeding  
(c) Both in civil & criminal proceedings  
(d) None of the above

प्र.क्र. 22— परिसीमा अधिनियम 1963 के उपबंध विवाह और विवाह विच्छेद विषयक किसी तत्समय प्रवृत्त के अंतर्गत किसी वाद या अन्य कार्यवाही के प्रति लागू नहीं होगी, का उल्लेख किया गया है :-

- (अ) धारा 27 (ब) धारा 29  
(स) धारा 13 (द) धारा 14

Que. The provisions of Limitation Act, 1963 shall not apply to any suit or other proceeding with respect to marriage and divorce subject to any law for the time being in force is provided in :-

- (a) Section 27 (b) Section 29  
(c) Section 13 (d) Section 14

प्र.क्र. 23— पूर्ववर्ती कब्जे के आधार पर अचल संपत्ति के कब्जे का वाद जबकि वादी का संपत्ति पर कब्जा होते हुए उसे बेकब्जा कर दिया गया हो, परिसीमा अधिनियम, 1963 के निम्न अनुच्छेद से शासित होगा :-

- (अ) अनुच्छेद 64 (ब) अनुच्छेद 65  
(स) अनुच्छेद 66 (द) अनुच्छेद 137

Que. Suit for possession of immovable property based on previous possession when the plaintiff while in possession of the property has been dispossessed will be governed by the following article of Limitation Act, 1963 -

- (a) Article 64 (b) Article 65  
(c) Article 66 (d) Article 137

प्र.क्र. 24— परिसीमा अधिनियम की धारा 6 प्रयोज्य नहीं होती है—

- (अ) आज्ञापति के निष्पादन में  
(ब) हकशुफा अधिकारों को प्रवर्तित कराने के वादों में  
(स) वाद में  
(द) उपरोक्त में कोई नहीं

Que. Section 6 Limitation Act does not apply to-

- (a) Execution of a decree  
(b) Suits to enforce rights of pre-emption  
(c) Suits  
(d) None of the above

प्र.क्र. 25— निम्न में से क्या परिसीमा अवधि के विहित समय को बढ़ा सकता है ?

- (अ) विहित समय के पूर्व भुगतान  
(ब) लिखित अभिस्वीकृति  
(स) बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही में लगा समय  
(द) उपरोक्त सभी

Que. Which of the following extends the prescribed time of limitation-

- (a) Payment before the prescribed period  
(b) Acknowledgment in writing  
(c) Time of proceeding bonafide in Court without jurisdiction.  
(d) All of the above.

### Specific Relief Act, 1963

प्र.क्र. 26— विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की किस धारा में विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युद्धरण का उल्लेख किया गया है ?

- (अ) धारा 2 (ब) धारा 1  
(स) धारा 3 (द) धारा 7



Que. Which of the following section deal with the recovery of specific movable property in the Specific Relief Act, 1963 ?  
 (a) Section 2 (b) Section 1  
 (c) Section 3 (d) Section 7

प्र.क्र. 27— विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की किस धारा में प्रास्थिति की अथवा अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय के विवेकाधिकार के बारे में उपबंध किया गया है —  
 (अ) धारा 34 (ब) धारा 35  
 (स) धारा 38 (द) धारा 41

Que. Which of the following section deals with the discretion of Court as to declaration of status or right in the Specific Relief Act, 1963-  
 (a) Section 34 (b) Section 35  
 (c) Section 38 (d) Section 41

प्र.क्र. 28— वादी जो एक अतिक्रामक है, को प्रतिवादी भूमि का वास्तविक स्वामी बलपूर्वक कब्जे से बेदखल कर देता है। इस संबंध में वादी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रस्तुत वाद —  
 (अ) वादी का अधिकार न होने से प्रचलन योग्य नहीं है।  
 (ब) वाद कारण रहित है।  
 (स) प्रचलन योग्य है।  
 (द) अधिकारिता रहित है।

Que. Plaintiff an encroacher is forcibly dispossessed by defendant, real owner of property. In this regard the suit filed by plaintiff under section 6 of Specific Relief Act is -  
 (a) Not maintainable because plaintiff has no right.  
 (b) Without cause of action.  
 (c) Maintainable.  
 (d) Without jurisdiction.

प्र.क्र. 29— पारिणामिक अनुतोष का प्रावधान वर्णित है—  
 (अ) धारा 34 (ब) धारा 41  
 (स) धारा 31 (द) धारा 37

Que. Provision of consequential relief is contained in -  
 (a) Sec. 34 (b) Sec. 41  
 (c) Sec. 31 (d) Sec. 37

प्र.क्र. 30— व्यादेश नामंजूर किया जाता है—  
 (अ) जहाँ किसी व्यक्ति को किसी ऐसे न्यायिक कार्यवाही के अभियोजन से अवरुद्ध करने का अनुतोष चाहा गया हो,  
 (ब) किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोई कार्यवाही करने से रोका गया हो,

- (स) जहाँ वादी का उस मामले में कोई वैयक्तिक हित न हो,  
 (द) उपरोक्त सभी

Que. An injunction can not be granted -

- (a) to restrain any person from prosecuting a judicial proceeding,  
 (b) to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a criminal matter,  
 (c) when the plaintiff has no personal interest in the matter.  
 (d) All the above

### Motor Vehicle Act, 1988

प्र.क्र. 31— मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163-क के अंतर्गत दावा में दावेदार को कौन-से तथ्य को साबित करने की अपेक्षा नहीं रहती है ?

- (अ) दोषपूर्ण कार्य अथवा उपेक्षा  
 (ब) व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थायी निःशक्तता  
 (स) मृतक की आय  
 (द) दुर्घटना में मोटर वाहन की अन्तर्ग्रस्तता

Que. Claim petition filed U/Sec. 163-A Motor Vehicle Act, 1988, the claimant need not to prove the fact as are -

- (a) Fault act or negligent  
 (b) Death of a person or permanent disability  
 (c) Income of the deceased  
 (d) Involvement of motor vehicle in the accident

प्र.क्र. 32— मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत दुर्घटना से उद्भूत प्रतिकर के लिए आवेदन दिया जा सकेगा -

- (अ) उस व्यक्ति के द्वारा जिसे क्षति हुई है या उसकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा  
 (ब) सम्पत्ति के स्वामी द्वारा  
 (स) जब दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, तब मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा  
 (द) उपरोक्त सभी

Que. Under section 166 Motor Vehicle Act, 1988 petition may be filed for compensation by the claimant

- (a) By whom who suffered injury or by duly authorised agent on behalf of him  
 (b) owner of the property  
 (c) If the death is caused in accident, than by all or any one legal heirs of the deceased  
 (d) All the above

- प्र.क्र. 33— मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 140 के अंतर्गत दोषरहित उत्तरदायित्व के आधार पर स्थाई अपंगता के मामले में प्रतिकर की निश्चित राशि उपबंधित है—  
 (अ) रूपये 50000 (ब) रूपये 25000  
 (स) रूपये 75000 (द) रूपये 10000

Que. What fixed sum is given on the basis of Section 140 of the Motor Vehicle Act, 1988 in case of permanent disability—  
 (a) Rs. 50000 (b) Rs. 25000  
 (c) Rs. 75000 (d) Rs. 10000

- प्र.क्र. 34— निम्न में से कौन-सी धारा में प्रावधानित है कि आवेदक, आवेदन या तो धारा 163-क अथवा 140 में प्रस्तुत करेगा, दोनों में नहीं—  
 (अ) धारा 163 ख (ब) धारा 140  
 (स) धारा 166 (द) धारा 163-क

Que. Which of the following section provides that claimant shall file the application either u/s 140 or u/s 163-A and not under both—  
 (a) Section 163-B (b) Section 140  
 (c) Section 166 (d) Section 163-A

- प्र.क्र. 35— मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि है —  
 (अ) 3 वर्ष (ब) 10 वर्ष  
 (स) 12 वर्ष (द) कोई परिसीमा अवधि विहित नहीं है

Que. Under section 166 of the Motor Vehicle Act, the prescribed period for limitation for filing claim is:-  
 (a) 3 Years (b) 10 Years  
 (c) 12 Years (d) No period of Limitation is prescribed

### Code of Criminal Procedure, 1973

- प्र.क्र. 36— दण्ड प्रक्रिया संहिता की कौन-सी धारा में यह उपबंध किया गया है कि किसी साक्षी की साक्ष्य को, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा ?  
 (अ) धारा 273 (ब) धारा 275  
 (स) धारा 274 (द) धारा 277

Que. Which of the following section of Criminal Procedure Code deals with the recording of evidence of the witness by audio-video electronic means in the presence of the advocate of the person accused of the offence ?  
 (a) Section 273 (b) Section 275  
 (c) Section 274 (d) Section 277

प्र.क्र. 37— दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय को खर्च का आदेश देने की शक्ति प्रावधानित है ?

- (अ) धारा 339 (ब) धारा 287  
(स) धारा 388 (द) धारा 342

Que. Power to order costs is provisioned under which section of Cr.P.C. ?

- (a) Section 339 (b) Section 287  
(c) Section 388 (d) Section 342

प्र.क्र. 38— कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट बिना औपचारिक सबूत के साक्ष्य में ग्राह्य होने का तथ्य किस धारा में उल्लेखित है ?

- (अ) 291 द.प्र.सं. (ब) 292 द.प्र.सं.  
(स) 293 द.प्र.सं. (द) 294 द.प्र.सं.

Que. Reports of certain Government scientific experts are admissible in evidence without any formal proof is provided under section -

- (a) 291 Cr.P.C. (b) 292 Cr.P.C.  
(c) 293 Cr.P.C. (d) 294 Cr.P.C.

प्र.क्र. 39— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है -

- (अ) धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत संस्थित की गई पुलिस रिपोर्ट पर  
(ब) धारा 2(घ) द.प्र.सं. के अंतर्गत परिभाषित परिवाद पर  
(स) स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि अपराध किया गया है  
(द) उपरोक्त सभी स्थितियों में

Que. Section 190 of Cr.P.C. provides for taking of cognizance by the Magistrate -

- (a) On a police report filed under section 173 of Cr.P.C.  
(b) On a complaint within the meaning of section 2(d) of Cr.P.C.  
(c) Upon his own knowledge, that offence has been committed  
(d) In all the above conditions

प्र.क्र. 40— दण्ड प्रक्रिया संहिता की कौन-सी धारा के अंतर्गत सत्र न्यायालय के द्वारा दोषसिद्धि के उपरान्त अभियुक्त को सुना जाना आवश्यक है :-

- (अ) धारा 255(2) द.प्र.सं. (ब) धारा 235(2) द.प्र.सं.  
(स) धारा 248(2) द.प्र.सं. (द) उपरोक्त (ब) एवं (स) दोनों

Que. In which section of Cr.P.C. hearing on sentence by a Sessions Court is required on conviction of an accused :-

- (a) Section 255(2) Cr.P.C. (b) Section 235(2) Cr.P.C.  
(c) Section 248(2) Cr.P.C. (d) Both (b) and (c)

प्र.क्र. 41— दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति किस धारा में प्रविष्टित की गई है ?

- (अ) धारा 310 क द.प्र.सं. (ब) धारा 311 क द.प्र.सं.  
(स) धारा 312 क द.प्र.सं. (द) धारा 313 क द.प्र.सं.

Que. The power of Magistrate to order person to give specimen signature or handwriting has been inserted by Criminal Procedure (Amendment) Act 2005 under section -

- (a) 310 A Cr.P.C. (b) 311 A Cr.P.C.  
(c) 312 A Cr.P.C. (d) 313 A Cr.P.C.

प्र.क्र. 42— लोक अभियोजक द्वारा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल की लोक कर्तव्य के दौरान मानहानि के विषय में प्रस्तुत परिवाद पर राजीनामा के विषय में निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है ?

- (अ) धारा 320 (स्तम्भ-2) द.प्र.सं. के अंतर्गत व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है, द्वारा न्यायालय की अनुमति से राजीनामा किया जा सकता है ।  
(ब) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की सिफारिश पर न्यायालय की अनुमति से धारा 320 (स्तम्भ-2) द.प्र.सं. के अंतर्गत राजीनामा किया जा सकता है ।  
(स) धारा 320 (स्तम्भ-1) द.प्र.सं. के अंतर्गत जिस व्यक्ति की मानहानि की गई, की इच्छा पर न्यायालय की अनुमति के बिना राजीनामा किया जा सकता है ।  
(द) उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं ।

Que. Which of the following statement is true regarding compounding of offence in case of Defamation of President or the Vice President or The Governor of state in respect of his public functions, when instituted upon a complaint made by the public prosecutor ?

- (a) May be compounded u/s 320 (table-2) by the person defamed with the permission of the Court.  
(b) May be compounded u/s 320 (table-2) be recommendation of Central Government or State Government with the permission of the Court.  
(c) May be compounded u/s 320 (table-1) by the person defamed without permission of the Court.  
(d) All of the above is untrue.

प्र.क्र. 43— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो पूर्व से अभियुक्त नहीं है, कार्यवाही की जा सकती है, किस प्रक्रिया के दौरान ?

- (अ) जाँच (ब) विचारण  
(स) जाँच या विचारण (द) अन्वेषण

Que. Under section 319 of the Criminal Procedure Code, a person not already accused in a case can be proceeded against, in the course of -

- (a) inquiry (b) trial  
(c) inquiry or trial (d) investigation

प्र.क्र. 44— निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपीलिय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने को अथवा ऐसा करने के निर्देश करने को अधिकृत किया गया है ?

- (अ) धारा 311 द.प्र.सं. (ब) धारा 391 द.प्र.सं.  
(स) धारा 273 द.प्र.सं. (द) धारा 262 द.प्र.सं.

Que. Which one of the following section authorised the appellate court to take further evidence or direct it to be taken ?

- (a) section 311 Cr.P.C. (b) section 391 Cr.P.C.  
(c) section 273 Cr.P.C. (d) section 262 Cr.P.C.

प्र.क्र. 45— धारा 320 द.प्र.सं में विनिर्दिष्ट अपराधों के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता में उल्लिखित अन्य सभी अपराध—

- (अ) अशमनीय हैं  
(ब) न्यायालय की आज्ञा से शमनीय हैं  
(स) सत्र न्यायालय द्वारा शमनीय हैं  
(द) उच्च न्यायालय द्वारा शमनीय हैं

Que. Offences of Indian Penal Code other than mentioned in Section 320 of Cr.P.C. are-

- (a) Non compoundable  
(b) compoundable with the permission of Court  
(c) Compoundable by the Court of Sessions  
(d) Compoundable by the High Court

प्र.क्र. 46— जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है, राज्य किसके हित में कार्य करता है ?

- (अ) शासन के (ब) पक्षकार के  
(स) लोक के (द) उपरोक्त में से किसी के भी नहीं

Que. While exercising power under section 321 of the Criminal Procedure Code, the State must act in interest of -

- (a) Government's (b) Party  
(c) Public (d) None of the above

प्र.क्र. 47— सहायक सेशन न्यायाधीश कितनी सजा दे सकते हैं ?

- (अ) आजीवन कारावास  
(ब) बीस वर्ष तक  
(स) चौदह वर्ष तक  
(द) मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक के कारावास के दण्डादेश को छोड़कर विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दण्ड

Que. What sentence an Assistant Session Judge may award ?

- (a) Life imprisonment  
(b) Up to twenty years

- (c) Up to fourteen years
- (d) Any sentence authorised by law except a sentence of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding ten years.

प्र.क्र. 48— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 क (2) के अंतर्गत प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण कौन करेगा ?

- (अ) सेशन न्यायाधीश
- (ब) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
- (स) जिला मजिस्ट्रेट
- (द) राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

Que. Who is authorised to decide quantum of compensation under section 357 A(2) of the Criminal Procedure Code ?

- (a) Sessions Judge
- (b) Chief Judicial Magistrate
- (c) District Magistrate
- (d) State or District Legal Services Authority

प्र.क्र. 49— पदीय कर्तव्य के निर्वहन में एक लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध में अभियोजन हेतु किसकी पूर्व स्वीकृति लगेगी ?

- (अ) राज्यपाल
- (ब) मुख्यमंत्री
- (स) विधिमंत्री
- (द) राज्य सरकार

Que. Whose previous sanction is required for prosecuting a public servant if an offence is committed by him, during the performance of official duties ?

- (a) Governor
- (b) Chief Minister
- (c) Law Minister
- (d) State Government

प्र.क्र. 50— कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जायेगी —

- (अ) जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष
- (ब) आयुक्त के समक्ष
- (स) राजस्व मंडल के समक्ष
- (द) सत्र न्यायालय के समक्ष

Que. Revision petition against the order passed by any Executive Magistrate, shall be presented before -

- (a) District Magistrate
- (b) Commissioner
- (c) Revenue Board
- (d) Court of Sessions

प्र.क्र. 51— आरोप पर सुनवाई के पश्चात यदि सत्र न्यायाधीश की राय है कि आरोपी ने ऐसा अपराध किया है, जो अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है —

- (अ) तो वह आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित करेगा व मामले को किसी मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकेगा।

- (ब) वह आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकेगा व मामले को किसी मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकेगा।
- (स) वह आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकेगा व मामले को किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को अंतरित कर सकेगा।
- (द) वह आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकेगा व मामले को किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी को अंतरित कर सकेगा।

Que. If the Session judge is of opinion that the accused has committed an offence which is not exclusively trail by court of session :

- (a) He shall frame a charge and transfer the case to any Magistrate
- (b) He may frame a charge and transfer the case to any Magistrate
- (c) He may frame a charge and transfer the case to Judicial Magistrate First Class.
- (d) He may frame a charge and transfer the case to Judicial Magistrate Second Class.

प्र.क्र. 52— परिवाद पर संस्थित किसी मामले में दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी —

- (अ) सत्र न्यायालय में,
- (ब) उच्च न्यायालय में,
- (स) उच्च न्यायालय द्वारा विशेष इजाजत देने पर उच्च न्यायालय के समक्ष
- (द) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष

Que. Appeal can be filed against an order of acquittal passed in any case instituted upon complaint -

- (a) In the Session Court
- (b) In the High Court
- (c) Before the High Court, with special leave to appeal granted by High Court
- (d) Before the Chief Judicial Magistrate Court.

प्र.क्र. 53— सह-अपराधी को क्षमा-दान उपबंधित है ?

- (अ) द.प्र.सं. की धारा 304 के अन्तर्गत ।
- (ब) द.प्र.सं. की धारा 313 के अन्तर्गत ।
- (स) द.प्र.सं. की धारा 406 के अन्तर्गत ।
- (द) द.प्र.सं. की धारा 306 के अन्तर्गत ।

Que. The Tender of Pardon to accomplice is provided -

- (a) Under section 304 Cr.P.C.
- (b) Under section 313 Cr.P.C.
- (c) Under section 406 Cr.P.C.
- (d) Under section 306 Cr.P.C.



- प्र.क्र. 54— दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा अंतःस्थापित सौदा अभिवाक् निम्न में से किस मामले में लागू नहीं होता है ?
- (अ) जहाँ ऐसा अपराध देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है।  
 (ब) जहाँ ऐसा अपराध स्त्री के विरुद्ध कारित किया गया है।  
 (स) जहाँ ऐसा अपराध 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध कारित किया गया है।  
 (द) उपर्युक्त सभी।

- Que. Plea bargaining inserted by Criminal Law (Amendment) Act, 2005 (2 of 2006) does not apply in case of
- (a) Offences affecting socio-economic conditions of the country.  
 (b) Offences committed against woman.  
 (c) Offences against child below the age of fourteen years.  
 (d) All the above.

- प्र.क्र. 55— जब वह व्यक्ति, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता, मर जाता है, तब — —
- (अ) अपराध का शमन नहीं किया जा सकता  
 (ब) किसी चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है  
 (स) ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति के बिना अपराध का शमन कर सकता है  
 (द) ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से अपराध का शमन कर सकता है

- Que. When the person who would otherwise be competent to compound an offence under section 320 of Code of Criminal Procedure is dead, then--
- (a) Offence cannot be compounded  
 (b) Offence can be compounded by any of the eye-witnesses  
 (c) Legal representative of such person can compound the offence without the consent of the Court  
 (d) Legal representative of such person can compound the offence with the consent of the Court

### Indian Evidence Act, 1872

- प्र.क्र. 56— भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन-सी धारा "नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है" के बारे में उपबंधित है ?
- (अ) धारा 39  
 (ब) धारा 50  
 (स) धारा 45  
 (द) धारा 42

- Que. Which of the following section of the Indian Evidence Act deals with "opinion on relationship when relevant" ?
- (a) Section 39  
 (b) Section 50  
 (c) Section 45  
 (d) Section 42

- प्र.क्र. 57— किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा का उपबंध किया गया है —
- (अ) धारा 114—क साक्ष्य अधिनियम
  - (ब) धारा 113—क साक्ष्य अधिनियम
  - (स) धारा 114—ख साक्ष्य अधिनियम
  - (द) धारा 113 साक्ष्य अधिनियम

Que. Presumption as to abetment of suicide by a married woman has been provided -

- (a) Under section 114-A of Evidence Act
- (b) Under section 113-A of Evidence Act
- (c) Under section 114-B of Evidence Act
- (d) Under Section 113 of Evidence Act

- प्र.क्र. 58— अपने ही साक्षी से प्रतिपरीक्षण किया जाना —

- (अ) अनुज्ञेय है
- (ब) केवल न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् अनुज्ञेय है
- (स) अनुज्ञेय नहीं है
- (द) विपक्षी पक्षकार के द्वारा सहमति देने पर अनुज्ञेय है

Que. Cross-examination of one's own witness is

- (a) Permissible
- (b) Permissible only after obtaining the permission of the Court
- (c) Not permissible
- (d) Permissible with the consent of the opposite party

- प्र.क्र. 59— कम आयु के बालक का साक्ष्य :-

- (अ) यदि वह प्रश्नों को समझने की क्षमता रखता है तो अनुज्ञेय है ।
- (ब) यदि वह प्रश्नों को समझने की और उनके युक्तिसंगत उत्तर देने की क्षमता रखता है, तो अनुज्ञेय है ।
- (स) अनुज्ञेय नहीं है ।
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

Que. A child if tender age :-

- (a) Can be allowed to testify if he has capacity to understand questions.
- (b) Can be allowed to testify if he has capacity to understand questions and give rational answers thereto.
- (c) Can not be allowed to testify.
- (d) None of the above.

- प्र.क्र. 60— हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण किस प्रावधान के अंतर्गत सुसंगत है ?

- |             |             |
|-------------|-------------|
| (अ) धारा 8  | (ब) धारा 9  |
| (स) धारा 16 | (द) धारा 15 |

Que. Under what provision of Evidence Act, motive, preparation and previous or subsequent conduct is relevant -

- (a) Section 8 (b) Section 9  
(c) Section 16 (d) Section 15

प्र.क्र. 61— 'अ' न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्राख्यान और 'ब' प्रत्याख्यान करता है, यह निर्णय दे कि वह 'ब' के कब्जे में की अमुक भूमि का हकदार है। सबूत का भार किस पर होगा ?

- (अ) 'अ' पर (ब) 'ब' पर  
(स) 'अ' एवं 'ब' दोनों पर (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. 'A' desire, a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of 'B' by reason of facts which he asserts and which 'B' denies to be true. The burden of proof shall lie on whom ?

- (a) On 'A' (b) On 'B'  
(c) On both 'A' and 'B' (d) None of the above

प्र.क्र. 62— विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है, यह—

- (अ) विधि की खण्डनीय उपधारणा है।  
(ब) तथ्य की उपधारणा है।  
(स) विधि व तथ्य की मिश्रित उपधारणा है।  
(द) विधि की अखण्डनीय उपधारणा है।

Que. Birth during marriage, is a conclusive proof of Legitimacy, it is-

- (a) Rebutable presumption of law.  
(b) Presumption of fact.  
(c) Mixed presumption of law and fact.  
(d) Irrebutable presumption of law.

प्र.क्र. 63— निम्न में से कौन-सा कथन धारा 31 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में सही है ?

- (अ) स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत होती हैं।  
(ब) स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं होती हैं किन्तु विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी।  
(स) स्वीकृतियाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन सुसंगत नहीं हैं।  
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. Which statement in relation to the Section 31 of Indian Evidence Act is correct ?

- (a) Admissions are conclusive proof.  
(b) Admissions are not conclusive proof but they may operate as estoppel.  
(c) Admissions are not relevant under Indian Evidence Act.  
(d) None of the above.

प्र.क्र. 64— 'ख' को 'क' "मेरा कलकत्ते का गृह" विलेख द्वारा बेचता है । 'क' का कलकत्ते में कोई गृह नहीं था किन्तु यह प्रतीत होता है कि उसका हावड़ा में एक गृह था जो विलेख के निष्पादन के समय से 'ख' के कब्जे में था । इन तथ्यों को दर्शित करने के लिए कि विलेख का संबंध हावड़ा के गृह से था—

- (अ) साबित किया जा सकेगा।
- (ब) साबित नहीं किया जा सकेगा।
- (स) न्यायालय की पूर्वानुमति आवश्यक है।
- (द) 'क' के संदर्भ विबंध पैदा करेगा।

Que. 'A' sells to 'B' by deed "*my house in Calcutta.*" 'A' had no house in Calcutta but it appears that he had a house at Howrah of which 'B' had been in possession since the execution of the deed. These facts to show that the deed related to the house at Howrah-

- (a) May be proved.
- (b) May not be proved.
- (c) Prior permission of Court is necessary.
- (d) Will operate as estoppel against 'A'.

प्र.क्र. 65— विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार होगा—

- (अ) हमेशा वादी पर
- (ब) उस व्यक्ति पर जो यह चाहता है कि वह उसके अस्तित्व में विश्वास करें।
- (स) उस व्यक्ति पर जो असफल हो जाएगा यदि कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए।
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. The burden of proof as to any particular fact lies-

- (a) always on plaintiff
- (b) on that person who wishes the court to believe in its existence
- (c) on that person who would fail if no evidence is given
- (d) none of the above.

प्र.क्र. 66— उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार, जो उस मामले को भारतीय दण्ड संहिता के साधारण अपवादों में लाने से है, किस पर है ?

- (अ) अभियोजन पर
- (ब) अभियुक्त पर
- (स) साक्षी पर
- (द) अन्वेषक अधिकारी पर

Que. The burden of proving the existence of circumstances bringing the case within the general exceptions in the Indian Penal Code lies on -

- (a) the prosecution
- (b) the accused
- (c) the witness
- (d) the investigating officer

प्र.क्र. 67— निम्न में से कौन-सी धारा यह प्रावधानित करती है कि साक्षी से उसके द्वारा किये गये पूर्व लिखित कथन के विषय में लिखित कथन को दिखाये बिना अथवा प्रमाणित किये बिना प्रश्न पूछा जा सकेगा ?

- (अ) धारा 145 साक्ष्य अधिनियम
- (ब) धारा 141 साक्ष्य अधिनियम
- (स) धारा 147 साक्ष्य अधिनियम
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. Which of the following section provides that a witness may be cross examined as to previous statement made by him in writing without such writing being shown to him or bring proved ?

- (a) Section 145 of the Evidence Act.
- (b) Section 141 of the Evidence Act.
- (c) Section 147 of the Evidence Act.
- (d) None of the above

प्र.क्र. 68— एक वाद में एक साक्षी के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के उपरांत वादपत्र सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए वापस किया गया, उस न्यायालय में कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व साक्षी की मृत्यु हो गयी, उसकी अभिसाक्ष्य —

- (अ) धारा 32 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ग्राह्य है,
- (ब) धारा 33 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ग्राह्य है,
- (स) धारा 6 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ग्राह्य है,
- (द) साक्ष्य में अग्राह्य है।

Que. In a suit, after examination in chief and cross examination of a witness, the plaint was returned for presentation to the court of competent jurisdiction, before proceedings started in the court, the witness died, his deposition is -

- (a) admissible under section 32 Evidence Act,
- (b) admissible under section 33 Evidence Act,
- (c) admissible under section 6 Evidence Act,
- (d) inadmissible in evidence,

प्र.क्र. 69— साक्ष्य अधिनियम की कौन-सी धारा इलेक्ट्रॉनिक चिह्न के बारे में सबूत को उपबंधित करती है ?

- (अ) धारा 67-क
- (ब) धारा 68-क
- (स) धारा 69-क
- (द) धारा 70-क

Que. Which section of Evidence Act provides proof as to Electronic Signature ?

- (a) Section 67-A
- (b) Section 68-A
- (c) Section 69-A
- (d) Section 70-A

प्र.क्र. 70— बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लेख लिखकर देता है। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा —

- (अ) मौखिक साक्ष्य
- (ब) दस्तावेजी साक्ष्य
- (स) प्राथमिक साक्ष्य
- (द) द्वितीयक साक्ष्य

- Que. A witness who is unable to speak, gives his evidence by writing in open Court. Evidence so given shall be deemed to be -
- (a) Oral evidence (b) Documentary evidence  
(c) Primary evidence (d) Secondary evidence

### Indian Penal Code, 1860

- प्र.क्र. 71— धारा 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत सामान्य आशय स्थापित करने के लिए —
- (अ) सामान्य आशय को साबित करना आवश्यक है लेकिन प्रकट कृत्य साबित करना आवश्यक नहीं है  
(ब) सामान्य आशय एवं प्रकट कृत्य दोनों को साबित करना आवश्यक है  
(स) सामान्य आशय साबित करने की आवश्यकता नहीं लेकिन प्रकट कृत्य साबित करना आवश्यक है  
(द) उपरोक्त सभी

- Que. To establish common intention under section 34 of IPC -
- (a) Common intention be proved but prove of overt act in not necessary  
(b) Common intention and overt act both be proved  
(c) Common intention need not be proved but overt act be proved  
(d) All the above

- प्र.क्र. 72— जो कोई किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले ले, वह भा.द.सं. की धारा 369 के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा, अगर शिशु की आयु निम्न में से कम है :-
- (अ) दस वर्ष (ब) बारह वर्ष  
(स) चौदह वर्ष (द) पन्द्रह वर्ष

- Que. Whoever kidnaps or abducts any child with the intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child shall be punished under section 369 of I.P.C. if the age of such child is under the following :-
- (a) Ten years (b) Twelve years  
(c) Fourteen years (d) Fifteen years

- प्र.क्र. 73— दृश्यरतिकता का अपराध परिभाषित है —
- (अ) धारा 354—क भा.दं.वि. में (ब) धारा 354—ख भा.दं.वि. में  
(स) धारा 354—ग भा.दं.वि. में (द) धारा 354—घ भा.दं.वि. में

- Que. Offence of **Voyeurism** is defined in -
- (a) Section 354-A IPC (b) Section 354-B IPC  
(c) Section 354-C IPC (d) Section 354-D IPC

प्र.क्र. 74— अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का अपराध भा.दं.वि. की कौन-सी धारा के अंतर्गत दण्डनीय है ?

- (अ) धारा 326-क भा.दं.वि. में (ब) धारा 326-ख भा.दं.वि. में  
(स) धारा 166-क भा.दं.वि. में (द) धारा 228-क भा.दं.वि. में

Que. Voluntarily causing grievous hurt by use of acid is punishable under which section of the IPC ?

- (a) Section 326-A IPC (b) Section 326-B IPC  
(c) Section 166-A IPC (d) Section 228-A IPC

प्र.क्र. 75— कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दण्ड, उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास के दीर्घतम अवधि के दण्ड का :-

- (अ) आधा होगा (ब) एक चौथाई होगा  
(स) एक तिहाई होगा (द) पूर्ण अवधि के लिए

Que. Attempt to commit any offence is punishable of the longest term of imprisonment provided for the offence with :-

- (a) Half (b) One fourth  
(c) One third (d) Full

प्र.क्र. 76— जब अपराध कारावास व जुर्माना दोनों से दण्डनीय है तब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में कारावास की अवधि निम्न में कौन-सी होगी ?

- (अ) उस अपराध के लिए विधि में वर्णित अधिकतम दण्ड के एक चौथाई भाग तक।  
(ब) उस अपराध के लिए विधि में वर्णित अधिकतम दण्ड के तीन चौथाई भाग तक।  
(स) उस अपराध के लिए विधि में वर्णित अधिकतम दण्ड के आधे भाग तक।  
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. Which of the following sentence of imprisonment for non payment of fine may be imposed on the offence, if the offence be punishable with imprisonment as well as fine-

- (a) One-fourth of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence.  
(b) Three-fourth of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence.  
(c) Half of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence.  
(d) None of the above.

प्र.क्र. 77— 'ए' जिला जज के न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित रहने हेतु जारी समन्स के पालन में हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए हाजिर होने का साशय लोप करता है, 'ए' ने किया है -

- (अ) धारा 170 भा.दं.वि. के तहत अपराध (ब) धारा 173 भा.दं.वि. के तहत अपराध  
(स) धारा 174 भा.दं.वि. के तहत अपराध (द) धारा 174-क भा.दं.वि. के तहत अपराध

Que. 'A' being legally bound to appear before District Judge as a witness in obedience to a summons issued by that District Judge, 'A' intentionally omits to appear, 'A' has committed-

- (a) Offence u/s 170 IPC (b) Offence u/s 173 IPC  
(c) Offence u/s 174 IPC (d) Offence u/s 174-A IPC

प्र.क्र. 78— 'क' किसी प्रति हेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई गन चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है। 'क' अपराध का दोषी है :-

- (अ) भा.द.सं. की धारा 302 के अधीन (ब) भा.द.सं. की धारा 304-क के अधीन  
(स) भा.द.सं. की धारा 306 के अधीन (द) भा.द.सं. की धारा 304 पार्ट-2 के अधीन

Que. 'A' without any excuse fires a loaded gun into a crowd of persons and killed one of them. 'A' is guilty of offence :-

- (a) under section 302 of IPC (b) under section 304-A of IPC  
(c) under section 306 of IPC (d) under section 304 part-II of IPC

प्र.क्र. 79— अम्ल के प्रयोग द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के मामले में अधिकतम सजा दी जा सकती है ?

- (अ) आजीवन कारावास (ब) 10 वर्ष  
(स) 7 वर्ष (द) 5 वर्ष

Que. In case of voluntary causing grievous hurt by use of acid, the maximum sentence may be imposed up to -

- (a) Life imprisonment (b) 10 years  
(c) 7 years (d) 5 years

प्र.क्र. 80— 'य' जो 18 वर्ष से कम आयु का है, उकसाकर 'क' उससे स्वेच्छया आत्महत्या करवाता है । 'क' ने निम्न में से कौन-सा अपराध किया है ?

- (अ) आत्महत्या के दुष्प्रेरण  
(ब) शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण  
(स) हत्या  
(द) हत्या का दुष्प्रेरण

Que. 'A' by instigation voluntarily causes 'Z' a person under eighteen years of age to commit suicide. 'A' has committed which of the following offence ?

- (a) Abetment of suicide.  
(b) Abetment of suicide of child or insane person  
(c) Murder  
(d) Abetment of Murder

प्र.क्र. 81— क्या हम विकृतचित्त व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं ?

- (अ) हाँ (ब) नहीं  
(स) सदैव नहीं (द) उपरोक्त में से कोई नहीं



Que. Whether we can exercise right of private defence against person who is of unsound mind ?

- (a) Yes (b) No  
(c) Not always (d) None of the above

प्र.क्र. 82— किसी लोक सेवक या जेल स्टाफ द्वारा बलात्कार किये जाने के मामले में न्यूनतम सजा होगी —

- (अ) 7 वर्ष (ब) 10 वर्ष  
(स) आजीवन कारावास (द) न्यायालय के विवेक पर

Que. Rape by a Public Servant or staff of jail shall be punishable with minimum sentence of -

- (a) 7 years (b) 10 years  
(c) life imprisonment (d) discretion of court

प्र.क्र. 83— महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण माडिकर ए.आई.आर. 1991 सु.को. 207 में प्रतिपादित सिद्धान्त संबंधित है —

- (अ) अभियोक्त्री के साक्ष्य की अन्य साक्ष्य से संपुष्टि वहां भी आवश्यक नहीं है जहां अभियोक्त्री कमजोर चरित्र की हो।  
(ब) धारा 376 भा.द.वि. के प्रकरण में अभियोक्त्री के उम्र के निर्धारण में।  
(स) अभियुक्त के उम्र के निर्धारण के संबंध में।  
(द) परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन कैसे किया जाए।

Que. State of Maharashtra v. Narayan Madikar AIR 1991 SC 207 laid down on -

- (a) Corroboration of prosecutrix is not necessary even a woman of easy virtue  
(b) Computation of age of prosecutrix in a case of Sec. 376 IPC  
(c) Computation of age of accused  
(d) How to appreciate circumstantial evidence

प्र.क्र. 84— जब उपहति साशय हो एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्युकारित करने के लिए पर्याप्त हो तथा परिणामस्वरूप मृत्युकारित हुई हो, तो यह अपराध है —

- (अ) हत्या का प्रयास  
(ब) सदोष मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता हो  
(स) हत्या  
(द) घोर उपहति

Que. When the injury is intentional and sufficient to cause death in the ordinary course of nature and death follow, the offence is-

- (a) Attempt to murder  
(b) Culpable homicide not amounting to murder  
(c) Murder  
(d) Grievous hurt

- प्र.क्र. 85— दस्तावेज का अर्थ है कि किसी विषय को किसी पदार्थ पर निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया जाए —
- केवल अक्षरों द्वारा ।
  - केवल अक्षरों, अंकों द्वारा ।
  - केवल अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा ।
  - अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा जिससे उस विषय को साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाना आशयित हो ।

- Que. "Document" means any matter expressed upon any substance -
- by means of letters only.
  - by means of letters, figures only.
  - by means of letters, figures or marks only.
  - by means of letters, figures or mark intended to be used as evidence of that matter.

- प्र.क्र. 86— जहाँ जुर्माने की राशि अभिव्यक्त ना की गयी हो, वहाँ कितनी राशि का जुर्माना हो सकता है, जिसे अदा करने के लिए आरोपी उत्तरदायी है ?
- 5,000 /—रूपए
  - 10,000 /—रूपए
  - अमर्यादित, किंतु अत्यधिक नहीं
  - अमर्यादित

- Que. Where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable ?
- Rs. 5000/-
  - Rs. 10,000/-
  - is unlimited but shall not be excessive
  - is unlimited

- प्र.क्र. 87— लैंगिक उत्पीड़न में समाहित है :-
- महिला को भौतिक रूप से स्पर्श करना
  - उसका पीछा करना
  - जब महिला अपना कोई निजी कार्य कर रही हो, तब उसकी फोटो लेना
  - उपरोक्त सभी

- Que. Sexual harassment includes :-
- Physical contact of a woman
  - follows a woman
  - capturing the image of a woman engage in a private act,
  - All the above.

प्र.क्र. 88— 'अ' एक पुलिस अधिकारी 'ब' को यह संस्वीकृति करने को कि उसने अपराध किया है, उत्प्रेरित करने के लिये यातना देता है। तो 'अ' भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अन्तर्गत दोषी है ?

- (अ) धारा 329 (ब) धारा 331  
(स) धारा 330 (द) धारा 332

Que. 'A' police officer, tortures 'B' in order to induce 'B' to confess that he committed a crime. 'A' is guilty of an offence under which section of Indian Penal Code ?

- (a) Section 329 (b) Section 331  
(c) Section 330 (d) Section 332

प्र.क्र. 89— हमला कारित नहीं किया जा सकता है :-

- (अ) केवल शब्दों के उच्चारण से (ब) हाव-भाव प्रदर्शन से  
(स) तैयारी करके (द) इनमें से कोई नहीं

Que. Assault cannot be caused by :-

- (a) mere words (b) gestures  
(c) preparation (d) None of these

प्र.क्र. 90— 'Y' ने 'Z' की जेब में अपना हाथ डाल दिया लेकिन जेब खाली थी। तब Y :-

- (अ) किसी अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि अपराध पूर्ण नहीं हुआ।  
(ब) चोरी का दोषी है।  
(स) रिश्टि का दोषी है।  
(द) चोरी के प्रयत्न का दोषी है।

Que. 'Y' inserts his hand into the pocket of 'Z' but the pocket was empty. 'Y' is guilty of :-

- (a) No offence as the offence was not completed.  
(b) Theft.  
(c) Mischief.  
(d) Attempt to theft.

### Negotiable Instrument Act, 1881

प्र.क्र. 91— परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के अधीन कम्पनियों के द्वारा किए जाने वाले अपराध के लिए व्यक्ति उत्तरदायी होंगे -

- (अ) कम्पनी का प्रभारी, जो अपराध कारित होते समय रहा है  
(ब) कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति  
(स) कम्पनी  
(द) उपरोक्त सभी

Que. Person liable of the offences by the companies under section 141 of the Negotiable Instrument Act -

- (a) Incharge of the company at the time the offence was committed
- (b) Person responsible to the company for the conduct of the business of the company
- (c) Company
- (d) All of above

प्र.क्र. 92— परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत, वाद हेतुक उत्पन्न होने की तिथि से कितने दिन में परिवाद पत्र पेश किया जाना चाहिए ?

- (अ) 15 दिन
- (ब) 1 माह
- (स) 45 दिन
- (द) 2 माह

Que. Under Section 138 of the Negotiable Instrument Act, complaint may be made from the date on which the cause of action arises -

- (a) 15 days
- (b) 1 month
- (c) 45 days
- (d) 2 months

प्र.क्र. 93— परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 140 के प्रयोजन हेतु चैक प्रदाता निम्न में से कौन-सा बचाव लेने से प्रतिबंधित है ?

- (अ) कि चैकप्रदाता को यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि चैक जब पेश किया जावेगा तब वह अनादृत हो जावेगा ।
- (ब) चैक चोरी हो गया था ।
- (स) चैक गुम गया था ।
- (द) चैक धोखा देकर लिया गया ।

Que. For the purpose of section 140 of the Negotiable Instrument Act, the drawer of the cheque is prohibited to take defence -

- (a) That the drawer of cheque had no reason to believe when he issued the cheque that the cheque may be dishonoured on presentation.
- (b) That there was theft of cheque.
- (c) That the cheque was lost.
- (d) That the cheque was obtained by deceit.

प्र.क्र. 94— धारा 143 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधान के अनुसार परिवाद दायर होने से ..... समय में विचारण पूरा किया जाएगा ।

- (अ) 12 माह
- (ब) 6 माह
- (स) 18 माह
- (द) कोई समय निर्धारित नहीं है ।

Que. Every trail u/s 143 of NI Act shall be conclude within ..... period of the date of the filing of the complaint.

- (a) 12 months.
- (b) 6 months
- (c) 18 months
- (d) No time limit is prescribed.

- प्र.क्र. 95— धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आवश्यक तत्व हैं —
- किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक में संधारित अपने खाते में से अपने किसी ऋण या अन्य दायित्व के लिये कोई चेक दिया जाए
  - ऐसा चेक बैंक द्वारा बिना भुगतान के लौटा दिया जाए
  - चेक जारी करने वाला व्यक्ति चेक के अधीन देय धनराशि का भुगतान उसे जारी नोटिस के 15 दिवस के भीतर नहीं करता है
  - उपरोक्त सभी

Que. Essential Ingredients of offence under section 138 Negotiable Instrument Act is -

- cheque is drawn by a person on an account maintained by him with a banker for the discharge of any debt or other liability
- returned back by the bank unpaid
- the drawer of the cheque fails to make the payment within fifteen days after receiving notice for demand of the cheque amount
- all the above

### Electricity Act, 2003

- प्र.क्र. 96— विद्युत अधिनियम की धारा 151 के अंतर्गत विद्युत चोरी के संदर्भ में अपराध का संज्ञान लेने हेतु निम्न में से कौन लिखित परिवाद पेश कर सकने को अधिकृत है ?
- समुचित सरकार के द्वारा ।
  - समुचित आयोग के द्वारा ।
  - मुख्य विद्युत निरीक्षक / विद्युत निरीक्षक / अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी।
  - उपरोक्त में से कोई नहीं ।

Que. Who has authorized to file written complaint Under Section 151 of the Electricity Act, for taking cognizance of the offences by the Court ?

- Appropriate Government
- Appropriate Commission
- Chief Electrical Inspector / Electrical Inspector / licensee or the generating company
- None of the above

- प्र.क्र. 97— विद्युत अधिनियम की धारा 152 के अंतर्गत शमनीय अपराध होगा —

- |              |              |
|--------------|--------------|
| (अ) धारा 135 | (ब) धारा 136 |
| (स) धारा 137 | (द) धारा 138 |

Que. As per section 152 of the Electricity Act, offence which may be compoundable -

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| (a) Section 135 | (b) Section 136 |
| (c) Section 137 | (d) Section 138 |

प्र.क्र. 98— विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अपराध 135 से 140 या 150 के अपराध हैं—

- (अ) संज्ञेय एवं अजमानतीय
- (ब) संज्ञेय एवं जमानतीय
- (स) असंज्ञेय एवं अजमानतीय
- (द) असंज्ञेय एवं जमानतीय

Que. Offences under sections 135 to 140 or Sec. 150 Electricity Act are

- (a) Cognizable and non-bailable
- (b) Cognizable and bailable
- (c) Non-cognizable and non-bailable
- (d) Non-cognizable and bailable

प्र.क्र. 99— विद्युत अधिनियम की धारा 152 (1) के अंतर्गत उपभोक्ता को अपराध के शमन करने की अनुमति .....दी जाएगी ।

- (अ) एक बार
- (ब) दो बार
- (स) तीन बार
- (द) कितने भी बार

Que. The compounding of an offence under sub-section (1) of sec. 152 of the Electricity Act for any consumer shall be allowed .....

- (a) Once
- (b) Twice
- (c) Thrice
- (d) For any number of time

प्र.क्र. 100— धारा 154 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विशेष न्यायालय संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में ..... की अनधिक अवधि के कारावास की सजा दे सकेगा -

- (अ) 5 वर्ष तक
- (ब) 3 वर्ष तक
- (स) 2 वर्ष तक
- (द) 1 वर्ष तक

Que. U/s 154 of Electricity Act, 2003, Special Court in a summary trial procedure can pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding -

- (a) 5 years
- (b) 3 years
- (c) 2 years
- (d) 1 year

\*\*\*\*\*